

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2218
14 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

आरआईएनएल का विनिवेश

2218. श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार आरआईएनएल, विशाखापत्तनम में अपने हिस्से का विनिवेश करने की प्रक्रिया में है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) आरआईएनएल जो कि फायदे में है, के विनिवेश के क्या कारण हैं; और
- (घ) प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों में देशीय इस्पात उत्पादक कम्पनियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क) से (ग): आर्थिक कार्यो संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार आरआईएनएल में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता में से आरआईएनएल की 10% प्रदत्त इक्विटी का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए विनिवेश किए जाने के प्रस्ताव को वर्ष 2012 में 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है। आरआईएनएल के खराब वित्तीय कार्य-निष्पादन के कारण इस विनिवेश पर आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

आरआईएनएल कथित रूप से वर्ष 2015-16 से नुकसान में चल रहा है और अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2018 तक चालू वित्त वर्ष में कर-भुगतान से पहले 1402 करोड़ रुपये का नुकसान (अनंतिम) दर्ज करा चुका है।

(घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता के रूप में होती है। सरकार द्वारा विभिन्न व्यापारिक उपचारी उपाय किए गए हैं, जैसे एंटी-डंपिंग शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सेफगार्ड शुल्क और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया गया है, जिसके द्वारा सभी इस्पात उत्पादों के लिए बीआईएस मानक अनिवार्य किया गया है।
